राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः–9(7)राज–6/2010/33 जयपुर दिनांकः– 22.10.2010

## अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व ( कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम–7 (ख) के द्वितीय परन्तुक के अनुसरण में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासन गांवो के संग अभियान–2010 के दौरान राज्य सरकार जनहित में यह आवश्यक समझती है एवं एतदद्वारा निर्देश देती है कि राज्य के समस्त जिलों हेतु भूमि आंवटन के लिये आवेदन प्रस्तुत किये जाने सबंधी उदघोषणा के लिये निर्धारित अवधि को 15 दिन से कम करके 7 दिन किया जाता है।

यह अधिसूचना दिनांक 10.11.2010 से दिनांक 31.12.2010 तक प्रभावशील रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(नरेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव , माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, समस्त माननीय मंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक इन्फ्रा।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. आयुक्त, उपनिवेशन, बीकानेर।
8. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
9. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
10. निबंधक, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर।
11. निदेशक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , जयपुर को अधिसूचना का राजपत्र विशेषांक दि0 22.10.10 में प्रकाशनार्थ।
12. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
13. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
14. अतिरिक्त निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर (वित्त एवं लेखा)।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव